160

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4182–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–08–2013 पारित द्वारा तहसीलदार रघुराज नगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 5ए5/2012–13.

श्री राजकुमार जैन तनय श्री भगवानदास जैन
निवासी अजयगढ़ तहसील अजयगढ़ जिला
पन्ना म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती गनेशिया यादव पत्नी श्री शिवनाथ यादव
   निवासी मुख्त्यारगंज सतना
2. श्रीमती सुशीला देवी गुप्ता पत्नी श्री केशवप्रसाद गुप्ता
   निवासी हनुमान गंज सतना
3. शासन मध्यप्रदेश द्वारा पटवारी हल्का अमौधाकलां,
   सतना

——— अनावेदक

.....

श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 26 अगस्त. 2016 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार रघुराज नगर जिला सतना पारित आदेश दिनांक 02–08–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका गनेसिया की ओर से आराजी कमांक 410/5 रकवा 0.05–3/4 डि. भूमि के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन तहसीलदार रघुराजनगर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने

प्रकरण कमांक 5ए5/12–13 में पारित आदेश दिनांक 02–8–13 के द्वारा नक्शा तरमीम के आदेश दिये। तहसीलदार उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक द्वारा बिना पक्षकार बनाये एवं आवेदक को सूचना दिये तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम आदेश पारित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें विकय पत्र के अनुसार जो नाम लिखी है उसे मनमाने ढंग से आराजी के उत्तर की ओर रकवा बढाकर शामिल कर दिया। नक्शा तरमीम बटा नम्बर के कमानुसार होना चाहिये परन्तु आराजी कमांक 410/1 व 410/1 के बाद पश्चिम की ओर 410/5, 410/6 व उसके बाद आराजी नं. 410/3, 410/4ख, 410/4ग, 410/1अ/2, 410/1स/1, 410/1स/2 के रूप में नक्श तरमीम किया गया है। नक्शा तरमीम बिना सुनवाई के विधि विरूद्ध होने से व कमानुसार न होने से आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी बताया कि तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र में दर्शाय चर्तुसीमा को अनदेखा कर नक्शा तरमीम करने में अवैधानिकता की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अनावेदिकाओं द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से भूमि कय करने के उपरांत नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे, जिसपर तहसीलदार द्वारा प्रकिया अपनाकर विधिवत नक्शा तरमीम के आदेश दिये हैं। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदिका कमांक 1 गनेसिया द्वारा नक्शा तरमीम हेतु प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 25–5–12 को तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध किया परन्तु इस्तहार प्रकाश अथवा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना करने के आदेश नहीं दिये। मात्र राजस्व निरीक्षक/पटवारी हल्का से तरमीम

प्रस्ताव बुलाने के आदेश दिये। अपितु तहसील न्यायालय के अभिलेख में सूचना पत्र संलग्न है परन्तु उसपर सभी हितबद्ध व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित नहीं होने से पूर्ण तथा विधिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। तहसीलदार ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अनावेदिका कमांक 1 गनेसिया द्वारा अपने स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 510/5 नक्शा तरमीम हेतु आवेदन किया था, परन्तु तहसीलदार द्वारा मात्र राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के सर्वे कमांक 510/5 एवं 510/6 का नक्शा तरमीम के आदेश देने अवैधानिकता की है क्योंकि सर्वे कमांक 510/6 अनावेदिका कमांक 2 सुशीला देवी के स्वामित्व की भूमि है, जो प्रश्नाधीन प्रकरण में पक्षकार भी नहीं थी और उसके द्वारा नक्शा तरमीम हेतु आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। बिना संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन किये उसके भूमिस्वामित्व की भूमि का नक्शा तरमीम किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा लिखित तर्क के साथ प्रस्तुत सूची दस्तावेज रजिस्टर्ड विकय पत्रों की छायाप्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वे कमांक 410 के मूल भूमिस्वामी श्यामलाल एवं कैटना ने सर्वे प्रथम भूमि प्रकाश चन्द्र खुरेजा को दिनांक 22–12–80 को विकय किया जिसकी चर्तुसीमा उत्तर में विकेता, दक्षिण में रास्ता सतना पन्ना रोड, पूर्व में भूमि राणाप्रताप सिंह तथा पश्चिम में भूमि विकेता अंकित किया। इसके पश्चात सर्वे कमांक 410 के मिन रकबे का दिनांक 13–3–81 को ग्रीस कुमार को विकय किया जिसमें उत्तर में आराजी विकेता, दक्षिण में सतना पन्ना रोड, पूर्व में प्रकाश चन्द्र सुखेजा तथा पश्चिम में सुखदेव चौरसिया अंकित है। इसी प्रकार दिनांक 13–3–81 को सर्वे कमांक 410 के मिन भाग का विकय पत्र संपादित हुआ जिसे चर्तुसीमा उत्तर में आराजी विकेता, दक्षिण में सतना पन्ना रोड, पूर्व में ग्रीस कुमार का प्लाट तथा पश्चिम में विकेता की आराजी अंकित है। दिनांक 16–9–81 को अल्लावक्श को विकय किया गया जिसमें उत्तर में आराजी विकेता, दक्षिण में रास्ता सतना पन्ना रोड, पूर्व में सुखदेव प्रसाद चौरसिया तथा पश्चिम में विकेता की जमीन एवं कुआ को रास्ता अंकित है।

इसी प्रकार गणेसिया द्वारा विकेतागण श्यामलाल से जरीये विकय पत्र दिनांक 19–11–81 को एक भू–खण्ड पश्चिम दिशा स्थित भूमि सर्वे कमांक 409 सुदामा लढिया से लगी भूमि से भूखण्ड कय किया जिसकी चर्तुसीमा उत्तर में आराजी विकेता, दक्षिण में रोड सरकार, पूर्व में आराजी सुशीला देवी तथा पश्चि में आराजी सुदामा लढिया अंकित है। जैसा कि आवेदक अभिभाषक का तर्क का प्रश्न है कि विकय के पश्चात सर्वे कमांक 410 की भूमि का विकय के आधार पर नामांतरण उपरांत सीमांकन हो चुका है और उसके बटांकन किया जाकर 410/1 लगायत 410/4 अंकित किये जा चुके हैं, एक बार भूमि का सीमांकन बटांकन होने के पश्चात नक्शा तरमीम किये जाने के उपरांत पुनः उन्हीं बटांकों के मध्य दो अन्य बटे नम्बर कायम नहीं किये जा सकते, उचित है क्योंकि पूर्व में हुये सीमांकन एवं बटांकन के उपरांत नक्शा तरमीम के पश्चात विकय पत्र के आधार पर भूमियों का नये शिरे से नक्शा बटांकन/ नक्शा तरमीम किया जाना विधिसंगत नहीं है। नक्शा तरमीम अथवा बटांक कायम करते समय सक्षम अधिकारी को विकय पत्र में दर्शयी चौदह्ही के अनुसार ही बटांक कायम कर नक्शा तरमीम करना चाहिए। चूंकि खसरे कमांक 210/1 लगायत 210/4 पूर्व में विकय पत्र के आधार पर कय किये गये थे तथा सर्वे कमांक 210/5 एवं 210/6 बाद में कय किये गये हैं इसलिए बाद में कय किये सर्वे कमांक का बटांक नियमानुसार बाद में ही कायम किये जाना प्रावधानित है। रजिस्टर्ड विकय पत्र में हस्तक्षेप करना राजस्व न्यायालय की अधिकारिता में नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विकय पत्र से हितबद्ध है तो सक्षम व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम की कार्यवाही में रजिस्टर्ड विकय पत्र में दर्शाय चौदह्ही को ध्यान में न लेकर मात्र राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर मनमाने तरीके से 410/1 लगायत 410/4 के बीच में 410/5 एवं 410/6 का नक्शा तरमीम करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। तहसीलदार द्वारा की गई इस प्रकार अवैधानिकता एवं अनियमितता के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी संस्थित

की जाना आवश्यक है, अतः आदेश की प्रति पृथक से कलेक्टर सतना को भेजी जाकर संबंधित त्रुटिकर्ता तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–08–2013 निरस्त किया जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर